



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122022-240851
CG-DL-E-07122022-240851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]
No. 628]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 5 दिसम्बर, 2022

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश)
(संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनि./6/185/2022.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 13, 64वीं और 64वीं तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जी), (वाई), (जेड) और (जेडए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

क. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) (संशोधन) विनियम, 2022 कहलाएँगे।

ख. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 में, उपर्युक्त विनियमों के विनियम 4(2)(ख)(घ) के अनुसार फार्म केटी-1 का भाग बनने वाली अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन (आरएसएम) कारक सारणी का निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा:

क. "पंक्ति 1.1.2.1.ग निधि आधारित लाभरहित" के बाद निम्नलिखित पंक्ति निविष्ट की जाएगी:

प्रकार	पहला कारक	दूसरा कारक
1.1.2.1.घ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	1.00%	0.05%

ख. निम्नलिखित पंक्तियों में, 'पहला कारक' को "0.8%" के स्थान पर "0.6%" से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- (i) 1.2.1.1.ख. गारंटियों के बिना
- (ii) 1.2.1.2.ख. गारंटियों के बिना
- (iii) 1.2.1.3.ख. गारंटियों के बिना
- (iv) 1.2.1.4.ख. गारंटियों के बिना
- (v) 1.2.2.1.ख. गारंटियों के बिना
- (vi) 1.2.2.2.ख. गारंटियों के बिना
- (vii) 1.2.2.3.ख. गारंटियों के बिना
- (viii) 1.2.2.4.ख. गारंटियों के बिना
- (ix) 2.2.1.1.ख. गारंटियों के बिना
- (x) 2.2.1.2.ख. गारंटियों के बिना
- (xi) 2.2.1.3.ख. गारंटियों के बिना
- (xii) 2.2.1.4.ख. गारंटियों के बिना
- (xiii) 2.2.2.1.ख. गारंटियों के बिना
- (xiv) 2.2.2.2.ख. गारंटियों के बिना
- (xv) 2.2.2.3.ख. गारंटियों के बिना
- (xvi) 2.2.2.4.ख. गारंटियों के बिना

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./447/2022-23]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 5th December, 2022

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022.

F No. IRDAI/Reg/6/185/2022.—In exercise of the powers conferred by clauses (g), (y), (z) and (za) of subsection (2) of Section 114A read with sections 13, 64V and 64VA of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 namely: -

1. Short title and commencement

- a. These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022.
- b. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016, the Required Solvency Margin (RSM) factors table forming part of Form KT-1 as per Regulation 4(2)(B)(d) of the said Regulations shall be amended as follows:

a. The following row shall be inserted after “row 1.1.2.1.c Fund Based Non Participating”:

Type	First Factor	Second Factor
1.1.2.1.d Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	1.00%	0.05%

b. In the following rows, the ‘First Factor’ shall be substituted by “0.6%” in the place of “0.8%”:

- (i) 1.2.1.1. b. without guarantees
- (ii) 1.2.1.2. b. without guarantees
- (iii) 1.2.1.3.b. without guarantees
- (iv) 1.2.1.4.b. without guarantees
- (v) 1.2.2.1.b. without guarantees
- (vi) 1.2.2.2. b. without guarantees
- (vii) 1.2.2.3.b. without guarantees
- (viii) 1.2.2.4. b. without guarantees
- (ix) 2.2.1.1.b. without guarantees
- (x) 2.2.1.2.b. without guarantees
- (xi) 2.2.1.3.b. without guarantees
- (xii) 2.2.1.4.b. without guarantees
- (xiii) 2.2.2.1.b. without guarantees
- (xiv) 2.2.2.2.b. without guarantees
- (xv) 2.2.2.3.b. without guarantees
- (xvi) 2.2.2.4.b. without guarantees

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./447/2022-23]